

अति. जिला मजिस्ट्रेट मुकाम ~~...~~  
 पुत्र जागेराम रुहाड़वास बनाम जायब त हमील वरदाना  
 अपील नं. 41 सन 2021

क्र. सं.	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1/21	यह अपील अधिवक्ता की विजयपाल सिंह द्वारा पेश करने पर बाद जांच पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। प्रस्तुत तलवाने पर रेस्पोंडेन्स की तलबी जारी हो जिसका मातहत तलब हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 4/8/21 को पेश हो।	
4/8/21	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्त उपर पत्रावली वास्ते जिसका तलबी दिनांक 6/9/21 को पेश हो।	अति. जिला कलेक्टर सुंझुन
6/9/21	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्त उपर अतिरिक्त न्यायपालिका की पत्रावली प्राप्त हुई जो अपील की गई। पत्रावली वास्ते वरदाना दिनांक 21/9/21 को पेश हो।	अति. जिला कलेक्टर सुंझुन
21/9/21	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सेव द्वारा आज न्यायिक कार्य समाप्त रखा गया है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 21/9/21 को पेश हो।	
26/10/21	पत्रावली पेश हुई वकील भस्करान उपस्थित पी ओ साहब आज राजकार्य प्रकाश भरण पर है पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 16/11/21 को पेश	अति. जिला कलेक्टर सीडर
12-2021	पत्रावली पेश हुई वकील भस्करान उपस्थित पी ओ साहब आज राजकार्य प्रकाश भरण पर है पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 12/01-22 को पेश	अति. जिला कलेक्टर



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

12/1/22

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ द्वारा आज न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 7/2/22 को पेश हो।

7/2/22

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ द्वारा आज न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 9/3/22 को पेश हो।

9/3/22

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में रा. ए. पी. लोक अशोक दिनांक 12/3/22 में सूचीबद्ध है। वकील अशोक को सूचित गया। पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 12/3/22 को पेश हो जा।

अति. जिला कलक्टर

सुंशुन

12/3/22

पत्रावली लोक अशोक दिनांक 12/3/22 में नियत होने पर आज पेशी में ली गई। पक्षकारान उप. नहीं होने के कारण पत्रावली के निस्तारण सम्बन्धी कार्यवाही नहीं की सकी। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 14/4/22 को पेश हो

अति. जिला कलक्टर

सुंशुन

14/4/22

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. पत्रावली वास्ते बहस हेतु अन्तिम अवसर दिनांक 20/4/22 को पेश हो

अति. जिला कलक्टर

सुंशुन

20/4/22

पत्रावली पेश हुई विगत अधिवक्ता उच्चपक्ष उप. प्राची वकील अशोक का कथन है कि वे इस अपील को आगे नहीं चलाया चाहते हैं अशोक को विद्रु करना चाहता है। विश के आधार अति अशोक के आधार पर स्वीकृति की जाती है। आदेश सुनाने गया। पत्रावली के सत शरार हो कर दर्शन सम्बर से कम हो तथा वकील पत्रावली वास्ते दफ्तरे हो

अति. जिला कलक्टर

सुंशुन

इस अपील को दिनांक 20/4/22 को विद्रु करना है।